

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 01/2025

IN THE MATTER OF:

Kavita ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Response Affidavit on behalf of Respondent No. 1 to the report filed by Central Pollution Control Board	1 - 4
2.	Annexure R1(Colly.) Copy of the letters dated 27.03.2025 and 28.04.2025 sent by Respondent No. 1	5 - 6
3.	Annexure R2 Copy of the letter dated 30.04.2025 bearing number 446821-M.B. (2024-25) sent by Respondent No. 3	7
4.	Annexure R3 Copy of the letter dated 28.04.2025 bearing number 88/G.S.-U.K./NGT-Silica/2024-25.	8
5.	Annexure R4 Copy of the report dated 26.04.2025 prepared by Respondent No. 2	9 - 10

THROUGH COUNSEL



ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 1 and 3
5, Lawyers' Chamber Block – I,

437

PLACE: NEW DELHI

DATE: 02.05.2025

Delhi High Court, New Delhi

Mob: 8375955697

Email Id: adarshchamoli93@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 01/2025

IN THE MATTER OF:

KavitaApplicant


Versus

State of Uttarakhand & Ors.Respondents

**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 TO
THE REPORT FILED BY CENTRAL POLLUTION CONTROL
BOARD**

Most Respectfully Showeth:

Affidavit of Kahkashan Naseem, aged about 44 years, D/o Late Shri Abdul Sattar Ansari, presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun.



[Signature]
(Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as here under:

[Signature]

1. That the deponent is presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun i.e. Respondent No. 1 and as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.
2. That the present matter involves allegations pertaining to mining of silica sand by the project proponent i.e. Respondent No. 4 in violation of the environmental norms.
3. That this Hon'ble Tribunal after perusing the report filed on 13.03.2025 by Central Pollution Control Board (CPCB) in the above captioned matter had sought response from all the Respondents including Respondent No. 1 vide its order dated 17.03.2025. The relevant portion of the order dated 17.03.2025 is reproduced here as under:

"1. In compliance to order dated 24.01.2025, report of the Joint Committee has been filed by CPCB via email dated 13.03.2025.

...

6. Replies/responses by the respondents may be filed at least one week before the next date of hearing.

..."
4. That in compliance of this Hon'ble Tribunal's order dated 17.03.2025, Respondent No. 1 had sent letters dated 27.03.2025 and




f

28.04.2025 to Respondent No. 3 seeking information about steps taken in response to the CPCB's report. Copy of the letters dated 27.03.2025 and 28.04.2025 is annexed as **Annexure R1(Colly)**.

5. That in response to the aforesaid letter dated 28.04.2025 sent by Respondent No. 1, Respondent No. 3 has shared its response letter dated 30.04.2025 bearing number 446821-M.B. (2024-25) wherein it has been informed by Respondent No. 3 that a letter dated 28.03.2025 bearing number 3705/21-M.B.(2024-25) was sent by Respondent No. 3 to the department of Respondent No. 2 asking for appropriate response in terms of the order dated 17.03.2025 passed in the above captioned matter. Copy of the letter dated 30.04.2025 bearing number 446821-M.B. (2024-25) is annexed as **Annexure R2**.

6. Respondent No. 3 has further informed in its aforesaid letter dated 30.04.2025 that it has received a response from Chief Mining Officer, Uttarkashi vide letter dated 28.04.2025 bearing number 88/G.S.-U.K./NGT-Silica/2024-25 wherein it has been stated that a report dated 26.04.2025 has been prepared by Respondent No. 2. The details of the aforesaid report dated 26.04.2025 has already been filed by the learned counsel for Respondent No. 2 by way of a separate index. Copy of the letter dated 28.04.2025 bearing number 88/G.S.-



f

U.K./NGT-Silica/2024-25 is annexed as Annexure R3. Copy of the report dated 26.04.2025 is annexed as Annexure R4.

- 7. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed there from.
- 8. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

f

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Dehradun, Uttarakhand on 02 day of May 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



SR. No. 213
 Date 02-05-2025

f

DEPONENT

This affidavit is sworn before me by
 shri.. Kahkashan Naseem
 who is identified by Shri Hitesh Chhetri (Computer Operator)
 at Dehradun on 02-05-2025
Virender Singh
 Advocate & Notary Dehradun Time 03.57 AM

प्रेषक,

कहकशां नसीम,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, उत्तराकाशी।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

पर्याप्त संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनु: देहरादून: दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषय:- मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-01/2025 Kavita Vs State of Uttarakhand के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत वाद में अपेक्षित प्रतिवाद की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही एवं मामले की प्रगति से शासन को भी अवगत करायें। यदि प्रकरण में शासन की ओर से प्रतिशपथ-पत्र योजित किया जाना अथवा अन्य कोई कार्यवाही/निर्देश अपेक्षित हों तो तत्सम्बन्ध में विवरणपरक आख्या/संस्तुति एवं यथास्थिति सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ता से तैयार कराया गया आलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 05.05.2025 नियत होने के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान भी अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

Signed by

Kahkashan Naseem

Date: 27-03-2025 12:20:32

(कहकशां नसीम)

अपर सचिव।

अनुस्मारक

प्रेषक,

कहकशां नसीम
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनु0 दे0दून: दिनांक: 28 अप्रैल, 2025
विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-01/2025
Kavita Vs. State of Uttarakhand & Ors के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-1/286486/2025, दिनांक: 27.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17.03.2025 में प्रश्नगत वाद में अपेक्षित प्रतिवाद की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित करते हुए, यदि प्रकरण में शासन की ओर से प्रतिशपथ-पत्र योजित किया जाना अथवा अन्य कोई कार्यवाही/निर्देश अपेक्षित हों तो तत्सम्बन्ध में विवरणपरक आख्या/संस्तुति एवं यथास्थिति सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ता से तैयार कराया गया आलेख शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। जिसकी सूचना आतिथि तक अप्राप्त है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त संदर्भित पत्र में की गई अपेक्षा के क्रम में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 के क्रम में शासकीय अधिवक्ता से तैयार आलेख्य अनुमोदन हेतु आज ही शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 5.05.2025 नियत होने के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान भी अपेक्षित है।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीया,

Digitally signed by
Kahkashan Naseem
Date: 28-04-2025
13:14:17

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

प्रेषक

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

सेवा में,

अपर सचिव,
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संख्या- 4468

21-एम0बी0(2024-25)

दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय-

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-01/2025 कविता बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय

उपयुक्त विषयक शासन के अनुस्मारक पत्र संख्या-1/292897/2025 दिनांक 28.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-01/2025 कविता बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 में प्रशनगत वाद में अपेक्षित प्रतिवाद की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित करते हुए यदि शासन की ओर से प्रतिशपथ- पत्र योजित किया जाना अथवा अन्य कोई कार्यवाही/निर्देश अपेक्षित हो तो तत्सम्बन्ध में विवरणपरक आख्या/संस्तुति एवं यथास्थिति सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ता से तैयार कराया गया आलेख शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र 3705/21-एम0बी0(2024-25 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा सहा0 भू0 वैज्ञानिक अधिकारी उत्तरकाशी को जांच हेतु पत्र प्रेषित किया गया। सहा0 भूवैज्ञानिक उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्र संख्या/भू0ख0नि0वि0-उ0का0/Ngt-सिलिका/2024-25 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-01/2025 कविता बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के संलग्न पत्र संख्या-498/मु0ख0-VII (I)/02/2006-07/खनन/ उत्त0/ भू0खनि0नि0/24 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा आख्या तैयार कर सुश्री अंजली राजपूत, ऐडवोकेट-आन रिकार्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया(M.C.-Setalved Blook) नई दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः सहा0 भू0 वैज्ञानिक/प्र0खान अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्राप्त जांच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-यथापरि।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिप:- सहा0 भू0 वैज्ञानिक/प्र0खान अधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
गंगोत्री भवन, कक्ष. सं. 16, जिला कार्यालय परिसर, उत्तरकाशी।

संख्या: ७४ / भू०खनि०वि०-उ०का० / NGT-सिलिका / 2024-25

दिनांक: 28/04/2025

सेवा में,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 01/2025 Kavita VS
State of Uttarakhand के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र दिनांक 27 मार्च 2025 के कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 3705/21-एम०बी०(2024-25) दिनांक 28.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 में दिये गये निदेशानुसार कार्यवाही की अनुपालन आख्या संयुक्त रूप से तैयार कर जिला कार्यालय उत्तरकाशी को उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 762/भू०खनि०वि०-उ०का० / NGT-सिलिका / 2024-25 दिनांक 22.02.2025 एवं पत्र संख्या 821/भू०खनि०वि०- उ०का० / NGT-सिलिका / 2024-25 दिनांक 11.03.2025 के द्वारा आख्या सुश्री अंजली राजपूत, ऐडवोकेट-आंन रिकार्ड, सुप्रिम कार्ट ऑफ इण्डिया (M.C. Setalvad Block) नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 498/मु०ख०-VII(i)/02/2006-07 / खनन/उत्त०/ भू०खनि०नि०/24 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा आख्या तैयार कर सुश्री अंजली राजपूत, ऐडवोकेट-आंन रिकार्ड, सुप्रिम कार्ट ऑफ इण्डिया (M.C. Setalvad Block) नई दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 11.03.2025 एवं निदेशालय के पत्र दिनांक 26.04.2025 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(प्रदीप)

सहा०भूवैज्ञानिक / प्र०खान अधिकारी,,
उत्तरकाशी।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
 "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।
 (dir.ukdgm@gmail.com)

सेवा में,

सुश्री अन्जली राजपूत,
 एडवोकेट आन रिकार्ड,
 136, (M.C.Setalvad Block)
 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली।

संख्या: 498
 विषय

मु0ख0-VII(i)/02/2006-07/खनन/उत्त0/ भू0खनि0नि0/24, दिनांक 26 अप्रैल, 2025
 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 01/2025 कविता बनाम उत्तराखण्ड
 राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक 14-04-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 24-01-2025 के को दिये गये निर्देशानुसार गठित समिति के द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्नकर उक्त जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अनुदेश (instruction) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि:-

1. श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अबदयाल सिंह असवाल निवासी 215 साउथ वनस्थली, शिव मन्दिर लेन बल्लूपुर चौक देहरादून के द्वारा ग्राम कुकरेडा भकवाड, तहसील मोरी जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भकवाड की नाप भूमि 9.9808 है०, सिविल सोयम वन भूमि का क्षेत्रफल 28.9746 है०, एवं ग्राम कुकरेडा नाप भूमि 3.8650 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि का क्षेत्रफल 12.0103 है० एवं आरक्षित वन भूमि 44.9793 है० कुल 99.8092 है० अर्थात् 99.81 है० क्षेत्रफल में खनिज सिलिका सैण्ड का खनिज परिहार नियमावली 1960 (तत्कालीन मुख्यखनिज) प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस चाहने हेतु दिनांक 21-09-2005 को जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 291/VII-A-1/2014/187ख/07 दिनांक 03 फरवरी 2014 के द्वारा श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी 215 साउथ वनस्थली, शिव मंदीर लेन, बल्लूपुर चौक, देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा एवं भकवाड के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 35.944 है० क्षेत्रफल पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-6(1)(सी) एवं खनिज परिहार नियमावली 1960 के प्राविधानानुसार 01 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सिलिका सैण्ड का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस स्वीकृत किया गया।
3. औद्योगिक विकास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 465/VII-I/2014/187-ख/2007 दिनांक 28 फरवरी 2014 के द्वारा श्री रतन सिंह असवाल के पक्ष में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का निष्पादन किया गया।
4. श्री रतन सिंह असवाल के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्राविधानानुसार दिनांक 09-03-2015 कुल 35.944 है० क्षेत्रफल पर खनिज सिलिका सैण्ड का खनन पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. अवगत करना है कि खान मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 423 (अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 के द्वारा खनिज सिलिका सैण्ड के साथ अन्य 29 खनिज जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अन्तर्गत थे, को गौण/उपखनिज की श्रेणी में घोषित किया गया है। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 844/VII-I/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 प्रख्यापित की गयी।
6. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्रस्तर-6(चार)(क) में उल्लेख किया गया कि " खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन दिनांक 12-01-2015 एवं खान मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु पूर्व से स्वीकृत समस्त प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस धारको, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हेतु जारी शासनादेश, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हेतु जारी आशय पत्र एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जारी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हेतु भेजी गयी संस्तुति वाले आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे हेतु ग्राह्य होंगे।

7. तत्समय प्रचलित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्रस्ताव-6 (दो) में खनन पट्टे की अवधि निम्नानुसार उल्लिखित है:-
05 हैक्टेयर व उससे अधिक 50 वर्ष।
02 हैक्टेयर से 05 है0 तक 25 वर्ष।
8. श्री रतन सिंह असवाल के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्राविधानानुसार दिनांक 09-03-2015 कुल 35.944 है0 क्षेत्रफल पर खनिज सिलिका सैण्ड का खनन पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
9. औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 341/VII-A-1/2015/187ख/07 दिनांक 26 फरवरी 2016 के द्वारा श्री रतन सिंह असवाल के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा एवं भकवाड में 35.944 है0 क्षेत्रफल में कतिपय शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार खनिज सिलिकासैण्ड का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे का आशय पत्र पत्र स्वीकृत किया गया।
10. औद्योगिक विकास (खनन) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 691/VII-A-1/2020/187ख/07 दिनांक 06 जुलाई 2020 के द्वारा आशय पत्र पर उल्लिखित शर्त संख्या-1 आवेदन शुल्क रू0 3.00 लाख, शर्त संख्या-4 रू0 2.00 लाख की बैंक गारन्टी, शर्त संख्या -5 पर्यावरणीय अनुमति, शर्त संख्या-6 जी0एस0टी न0 शर्त संख्या-7 रू0 10000/- एफ0डी0आर0 एवं शर्त संख्या-8 निजी भूमिधारकों की सूची, को छोड़कर शेष शर्तों की अनुपालना किये जाने के दृष्टिगत जनपद उत्तरकाशी के तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा एवं ग्राम भकवाड के क्षेत्रान्तर्गत कुल 35.994 है0 क्षेत्रफल में 50 वर्ष की अवधि हेतु श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अब्दुलाल सिंह असवाल निवासी बी-4-502, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट, ग्राम कुल्हान सहस्रधारा रोड देहरादून के पक्ष में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार खनिज सिलिका सैण्ड का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे का शासनादेश सर्शत स्वीकृत किया गया।
11. आवेदक श्री रतन सिंह असवाल के द्वारा शासनादेश की सभी शर्त यथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति संख्या 283-01(99)/2019 दिनांक 12-08-2021 के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने, खनन हेतु आवशेष आवेदन शुल्क रू0 3.00 लाख जमा करने, रू0 2.00 लाख की बैंक गारन्टी आदि समस्त शर्तों का अनुपालन पूर्ण करने के उपरान्त ही शासन के द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्राविधानानुसार ही खनन पट्टा विलेख का प्रारूप तैयार कर खनन पट्टा विलेख निष्पादन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। जिसके कम में औद्योगिक विकास (खनन) अनुभगा-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1163/VII-A-1/2023-187ख /2007, दिनांक 08 अगस्त 2023 के द्वारा खनन पट्टा निष्पादित किया गया।
उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार श्री रतन सिंह असवाल के पक्ष में स्वीकृत उक्त क्षेत्र पर पट्टाधारक द्वारा किसी भी प्रकार की खनन की गतिविधिया नहीं की गयी है।
अतः उक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अनिल कुमार)
अपर निदेशक
कृते निदेशक

संख्या: मु0ख0-VII(i)/रिट/2488/खनन/बागे0/ भू0खनि0नि0/24, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन उत्तराखण्ड शासन।
2. जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तरकाशी।

(अनिल कुमार)
अपर निदेशक
कृते निदेशक